

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/जीवि/परीक्षा-2/गोप0/2016/1020

दिनांक : 26/05/2016

/ / अधिसूचना / /

विश्वविद्यालय क्षेत्रान्तर्गत के समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को यह अवगत कराया जाता है कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 76वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार परीक्षा कार्य को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है।

इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में भी अधिसूचना क्रमांक गोपनीय/जीविवि/112 दिनांक 05.02.2007 के द्वारा सूचित किया गया था, पुनः स्मरण हेतु पूर्व अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

विश्वविद्यालीन परीक्षा अत्यावश्यक कार्य में सहयोग प्रदान करें।

संलग्न :-

पूर्व अधिसूचना क्रमांक गोपनीय/जीविवि/112 दिनांक 05.02.2007



परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि:-

1. संपादक महोदय, की ओर इस निवेदन के साथ कि वे अपने लोकप्रिय समाचारपत्र में उक्त अधिसूचना को समाचारवृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, की ओर इस निवेदन के साथ कि वे इंटरनेट से प्रतियाँ निकलवाकर शिक्षकों/कर्मचारियों के सूचनार्थ महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा करावें।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. कुलसचिव के गोपनीय/निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. कन्ट्रोल रूम, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
8. वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष, परीक्षा भवन जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।



उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/गोपनीय/जीविवि/112

दिनांक : 05.02.2007

अधिसूचना

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 76वीं बैठक में लिए गए निर्णयानुसार एवं इस विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.01.2007 में लिये गये निर्णयानुसार परिनियम (Statute) 29 पैरा 12 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है।

Add in para 12 sub-para-4

Examination is essential work of every teacher and employee. In addition to lapses which constitute misconduct on the part of teachers & employees of affiliated colleges/UTD/School of Studies mentioned in respective service rules. The following would constitute misconduct on the part of persons engaged in examination work.

- Refusal to perform invigilation, question paper setting, valuation of answer books/thesis and other examination duties as assigned by University/college/UTD.
- Gross partiality in assessment of students, deliberately over-marking/under marking or attempts at victimization on any grounds.
- Inciting students against other students colleagues or administration. This does not interfere with the right of a teacher to express his difference on principles in seminars or other places where students are present.
- Raising questions of caste, creed, religion, race or sex in his relationships with his colleagues and trying to use the above considerations for improvement of his prospects and non-equitable distribution of work.
- Refusal to carry out the decisions by appropriate administrative and academic bodies and/or functionaries of the University. This will not inhibit his right to express his differences with their policies or decision.

उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय परीक्षा कार्य को आवश्यक कार्य घोषित किया गया है।
अतः सभी सम्माननीय शिक्षकों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि परीक्षा कार्य में सहयोग प्रदान करें।



कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध महाविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर इस निवेदन के साथ कि कृपया समस्त सम्माननीय शिक्षकों/कर्मचारियों को उपरोक्तानुसार सूचित करने का कष्ट करें।
- समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक, जीवाजी विश्वविद्यालय अध्ययनशाला की ओर इस निवेदन के साथ कि कृपया समस्त सम्माननीय शिक्षकों/कर्मचारियों को उपरोक्तानुसार सूचित करने का कष्ट करें।
- समस्त अधिकारी/अधीक्षक/कर्मचारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।



उप-कुलसचिव (गोपनीय/प्रशासन)